



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

अल्पकालीन पुनर्निविदा

विज्ञप्ति संख्या - 29/2013

एतद् द्वारा झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के कार्यालय परिसर अवस्थित बज्रगृह में वर्ष 2011 की मूल्यांकित/व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या लगभग 45,66,308 है एवं परिषद् कार्यालय, राँची एवं क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में वर्ष 2011 की अनुपयोगी कागजात के साथ-साथ जिला कोषागार/उप कोषागारों में वर्ष 2011 एवं उसके पूर्व के वर्षों का बचा हुआ अव्यवहृत प्रश्न-सह-उत्तरपुस्तिकाओं/प्रश्न पत्रों की बिक्री हेतु मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र का मूल्य 2,000/- (दो हजार रुपये) है जो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड" के नाम से राँची में भुगतये होगा, जमा कर परिषद् कार्यालय से दिनांक 10.06.2013 से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 10.06.2013 से 17.06.2013 अपराह्न 1:00 बजे तक डाले जायेंगे।

निविदादाता द्वारा निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:-

- 1) आयकर, बिक्री कर का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र।
- 2) बिक्री किये गये उत्तरपुस्तिकाओं का Recycling करना अनिवार्य है। अतः निविदादाता को इस निमित पेपर मिल से उसके संस्थान/प्रतिष्ठान की सम्बद्धता एवं Recycle का Paper Mill से वर्तमान वित्तीय वर्ष का मूल(Original) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 3) यदि आवेदक परिषद् द्वारा सदृश कार्यों के लिए आमंत्रित निविदा में पूर्व में सफल रहे हों तो परिषद् की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के क्रय एवं उठाव के बाद उन्हें Recycling करायें जाने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्य का ब्यौरा एवं शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न हैं। निविदा, निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष दिनांक 17.06.2013 को 03.00 बजे अपराह्न में रखी जायेंगी।

नोट:- निविदा प्रपत्र को परिषद् के वेबसाइट www.jac.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र अगर परिषद् के वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रपत्र का मूल्य रू. 2,000/- (दो हजार रू.) का बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। विज्ञप्ति संख्या 18/2013 के आलोक में जिन निविदादाताओं द्वारा निविदा डाला गया था, उनके संरक्षित निविदा में उपलब्ध सिक्कुरिटी मनी मान्य होगा, उन्हें अलग से कोई सिक्कुरिटी मनी पुनः जमा नहीं करना होगा परन्तु पुनर्निविदा की शेष शर्तों के आलोक में नयी निविदा जमा करना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-

(सुशील कुमार राय)
सचिव,

JAC/अवधायक/17814/12/SECY/275/13
Dt. 08.06.2013
D.O.P. 09.06.2013

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।